फर्द अहकाम

राजस्व – पत्रावली

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कुम्भलगढ़ जिला–राजसमन्द

मा. 69 सन् 18 किस्म मुकदमा [illegible]

[illegible] बनाम [illegible]

आदेशिका	हस्ताक्षर/सूचना
7/3/24 पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता वादी अनुपस्थित है। पत्रावली P.D पालना इन्तजार में दिनांक 23.5.24 को पेश हो।	
23/5/24 पत्रावली पेश हुई पीठासीन अधिकारीजी ~~[illegible]~~ अन्य में व्यस्त होने से पत्रावली पूर्व आदेश की पालना में दिनांक 10-7-24 को पेश हो।	
13/06/2024 अधिवक्ता वादी द्वारा पत्रावली तलबी का प्रार्थनापत्र पेश करने से पत्रावली आज पेश हुई। अधिवक्ता वादी ने उपस्थित होकर प्रार्थनापत्र पेश कर निवेदन किया कि हम पक्षकारों के मध्य आपसी राजीनामा हो गया है अब इस प्रकरण में आगे कोई कार्यवाही नहीं चाहते हैं व वाद को विड्रो किया गया है। अधिवक्ता वादी द्वारा वाद विड्रो करने से प्रकरण इसी स्टेज पर खारीज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नाबत से कम हो। निर्णय [illegible] न्यायालय में सुनाया गया।	

Signature Not Verified
Digitally signed by Upendra Kumar Sharma
Date: 2024.08.08 16:41:33 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) कुम्भलगढ़
जिला–राजसमन्द